न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 109/2020
GCMS:- 2020/00201

–: अनवान :–

भगतराम पुत्र कीकरराम जाति बावरी निवासी चक 7 F.D.M. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. मिठूराम } पुत्रगण कीकरराम जाति बावरी निवासी चक 6 F.D.M.(A)
2. ज्ञानचन्द } सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. कीकरराम पुत्र भगवाना जाति बावरी निवासी चक 6 F.D.M.(A) सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–
1. श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता वादी
2. श्री अमित कुमार सैनी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 07/10/2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाते मे कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 6 F.D.M.(A) जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 4/3 के पत्थर नम्बर 101/345 मु.न. 6 के किला नम्बर 1 ता 15 में 3.795 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जिसमे वादी का हिस्सा 1.2647 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त हिस्सा 1.8976 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 0.6327 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। खाता संयुक्त होने से रकबा को सुधारने , ट्यूबवैल लगाने, बैंक से ऋण आदि लेने रकम–आबयाना जमा करवाने मे हर समय कठिनाईयां पैदा होती रहती है, खाता विभाजन करवा लेने से रास्ता– पानी लगाने– रकम–आबयाना जमा करवाने मे कठिनाईया न आये इसलिए वादी अपने अपने हिस्सा का खाता विभाजन करवाना चाहता है ताकि कठिनाईया समाप्त हो सके। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती से काफी अर्सा से जैरवाद भूमि का आपस मे घरू बंटवारा कर रखा है व उसी अनुसार से अपना अपना खाता विभाजन करवाना चाहते है। घरू बंटवारा अनुसार वादी का कब्जा काश्त तहसील सूरतगढ़ के चक 6 F.D.M.(A) जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 4/3 के पत्थर नम्बर 101/345 मु.न. 6 के किला नम्बर 1 ता 5 में 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि पर हैं। वादी अपनी इसी

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested

(वाद संख्याः– 109/2020)

कब्जा काश्त की भूमि का खाता विभाजन प्रतिवादीगण से करवाना चाहता हैं इसलिए वादी के कब्जा काश्त की उक्त वर्णित भूमि का खाता विभाजन प्रतिवादीगण से किया जावे। वादी वाद पत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार वर्षो से घरू बंटवारा करके काश्त करता आ रहा है व भूमि को अपने अपने खर्चे से सुधार कर भारी खर्चा लगाकर काबिल काश्त किया है इसलिए अपने कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वे तहसील में चलकर सहमति से खाता विभाजन करवा लें इस पर पहले तो वे हांमी भरते रहे लेकिन दिनांक 05.08.2020 को स्पष्ट इन्कार हो गये तथा कहा कि हमे तो खाता विभाजन की आवश्यकता नहीं है तुम्हें आवश्यकता है तो अदालत से करवा लो हम तो अदालत से नोटिस मिलने पर ही आयेगें। प्रतिवादीगण की यही इन्कारी ही वाद प्रस्तुत करने का कारण है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी अनुतोष क व ख अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने जरिये वकील अदालत में हाजिर आकर अपना इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का खाता संयुक्त रखते हुए वादी का खाता अलग कर दिया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं।

वाद पत्र में बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार तहसील सूरतगढ़ के चक 6 F.D.M.(A) की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 4 अनुसार पत्थर नम्बर 101/345 मु.न. 6 के किला नम्बर 1 ता 15 में 3.795 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं जिसमें वादी का हिस्सा 1.2647 हैक्टेयर कमाण्ड हैं। वादी के मुताबिक उसका कब्जा काश्त अपने हिस्सा के रकबा का किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टेयर भूमि पर हैं। उक्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने भी अपना इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत करके वादी के कब्ज काश्त को स्वीकृति दी हैं। इसलिए वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादी का स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 6 F.D.M.(A) की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 4 अनुसार पत्थर नम्बर 101/345 मु.न. 6 के किला नम्बर 1 ता 15 में 3.795 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि में से किला नम्बर 1 ता 5 = 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि का खाता वादी भगतराम के नाम से अलग किया जाता हैं, शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खाता में रहेगी। रकम राज अलग–अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2020 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज.) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

भगतराम पुत्र कीकरराम जाति बावरी निवासी चक 7 F.D.M. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. मिठूराम } पुत्रगण कीकरराम जाति बावरी निवासी चक 6 F.D.M.(A)
2. ज्ञानचन्द } सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. कीकरराम पुत्र भगवाना जाति बावरी निवासी चक 6 F.D.M.(A) सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 109 वर्ष 2020 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री विनोद कुमार व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 श्री अमित कुमार सैनी तथा राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी का स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 6 F.D.M.(A) की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 4 अनुसार पत्थर नम्बर 101/345 मु.न. 6 के किला नम्बर 1 ता 15 में 3.795 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि में से किला नम्बर 1 ता 5 = 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि का खाता वादी भगतराम के नाम से अलग किया जाता हैं, शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खाता में रहेगी। रकम राज अलग–अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07/10/2020 .को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested